

मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1

डिक्रीधन का भुगतान किये जाने हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹73.05288 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹73,05,288 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।